निदेशक मण्डल, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की
273वीं बैठक दिनांक 09 अक्टूबर,2025 का कार्यवृत्त

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की 273वीं बैठक मा0 अध्यक्ष, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद श्री पी0 गुरु प्रसाद, प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न हुयी, जिसमें निम्न सदस्य उपस्थित रहेः-

1.	श्री पी0 गुरु प्रसाद,	प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग	अध्यक्ष
2.	डा0 बलकार सिंह,	आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद	सदस्य
3.	डा0 नीरज शुक्ला,	अपर आवास आयुक्त एवं सचिव	संयोजक
4.	श्री दीपक सिंह,	वित्त नियंत्रक ल0वि0प्रा0/प्रतिनिधि, अपर मुख्य सचिव, वित्त	सदस्य
5.	श्री डी0वी0 सिंह,	मुख्य अभियन्ता, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद	सदस्य
6.	श्री आशीष आनन्द,	वरि0वित्त लेखाधि0/प्रतिनिधि, वित्त नियंत्रक, आवास विकास	सदस्य
7.	श्री अनिल मिश्रा,	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक	सदस्य
8.	श्री संजीव कश्यप,	मुख्य वास्तुविद नियोजक, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद	सदस्य
9.	श्री दीपक सिंह,	प्रतिनिधि, उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ	सदस्य

विषय सूची

मद सं0	विषय	अनुभाग	निर्णय
273/1	परिषद की 272वीं बैठक दिनांक 22 जुलाई,2025 के कार्यवृत्त की पुष्टि।	समन्वय	परिषद की 272बीं बैठक दिनांक 22.जुलाई 2025 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।
273/2	परिषद की 272वीं बैठक दिनांक 22 जुलाई,2025 की अनुपालन आख्या।	समन्वय	परिषद की 272वीं बैठक दिनांक 22 जुलाई 2025 की अनुपालन आख्या का समयाभाव के कारण अवलोकन नही किया जा सका है। आगामी बैठक में सम्पूर्ण मदों पर बिन्दुवार अनुपालन आख्या प्रस्तुत किया जाय।
273/3	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद सबआर्डिनेट इंजीनियरिंग सर्विस रेगुलेशन्स-1973 (यथासंशोधित) में संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में।	प्रशासन	अवगत कराया गया कि बोर्ड में परिषद की धारा-95(1)च के अन्तर्गत संशोधन का अधिकार है। उक्त धारा के अन्तर्गत विनियमावली का प्राख्यापन किया गया है तथा समय-समय पर संशोधन भी किए गए है। उक्त के दृष्टिगत विचारोंपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

273/4	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद असिस्टेन्ट इंजीनियर्स सर्विस रेगुलेशन्स,1973 (यथासंशोधित) के भर्ती के वर्ष, आयु एवं शैक्षिणिक योग्यता में संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में।	प्रशासन	सर्व सम्मति से सम्यक विचारोंपरान्त समकक्षता के सम्बन्ध में इस निर्देश के साथ अनुमोदित कि समकक्ष अर्हता के सम्बन्ध में इंजीनियर्स सर्विस रेगुलेशन की जो व्यवस्था लोक निर्माण विभाग में प्रचलित है, उसी को लागू किया जाय।
273/5	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद के सहायक विधि अधिकारी पद की सेवा विनियमावली 2015 में आंशिक संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में।	प्रशासन	अवगत कराया गया कि बोर्ड में परिषद की धारा-95(1)च के अन्तर्गत संशोधन का अधिकार है। उक्त धारा के अन्तर्गत विनियमावली का प्राख्यापन किया गया है तथा समय-समय पर संशोधन भी किए गए है। उक्त के दृष्टिगत विचारोंपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
273/6	अनुशासनिक कार्यवाही के अन्तर्गत श्री सुनील कुमार, तत्कालीन सहायक अभियन्ता सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध विभागीय जाँच गठित किये जाने की कार्योत्तर स्वीकृति के सम्बन्ध में।	अनुशासनिक	सर्व सम्मति से सम्यक विचारोंपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
273/7	अनुशासनिक कार्यवाही के अन्तर्गत श्री गोपाल कृष्ण बंसल, तत्कालीन सहायक लेखाधिकारी सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध विभागीय जाँच गठित किये जाने की कार्योत्तर स्वीकृति के सम्बन्ध में।	अनुशासनिक	सर्व सम्मति से सम्यक विचारोंपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
273/8	अनुशासनिक कार्यवाही के अन्तर्गत श्री रामायण शरण, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध विभागीय जाँच गठित किये जाने की कार्योत्तर स्वीकृति के सम्बन्ध में।	अनुशासनिक	सर्व सम्मति से सम्यक विचारोंपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
273/9	अनुशासनिक कार्यवाही के अन्तर्गत श्री राजीव कुमार सक्सेना, सेवानिवृत्त अधिशासी अभियन्ता के विरूद्ध विभागीय जाँच गठित किये जाने की कार्योत्तर स्वीकृति के	अनुशासनिक	तकनीकी कारणों से प्रशासनिक विभाग द्वारा प्रस्ताव वापस लिया गया। परीक्षण कर आगामी बोर्ड बैठक में पुनः प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

	सम्बन्ध में।		
273/10	अनुशासनिक कार्यवाही के अन्तर्गत श्री एस0के0 सिंह भदौरिया, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता के विरूद्ध गठित विभागीय जाचं में दण्ड के सम्बन्ध में लिये गये निर्णय का अनुमोदन मा0 परिषद से प्राप्त करने के सम्बन्ध में।	अनुशासनिक	तकनीकी कारणों से प्रशासनिक विभाग द्वारा प्रस्ताव वापस लिया गया। परीक्षण कर प्रस्ताव आगामी बैठक में पुनः प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।
273/11	अनुशसनिक/विभागीय कार्यवाही के श्री आर0के0 अग्रवाल, सेवानिवृत्त मुख्य अभियन्ता मृतक एवं श्री बी0एस0 गुप्ता, सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियन्ता के विरूद्ध गठित विभागीय जांच में प्रतावित दण्ड की स्वीकृति प्राप्त करने के सम्बन्ध में।	अनुशासनिक	सर्व सम्मति से सम्यक विचारोंपरान्त श्री आर0के0 अग्रवाल, सेवानिवृत्त, मुख्य अभियन्ता, मृतक की जॉच समाप्त की जाती है एवं श्री बी0एस0 गुप्ता, सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियन्ता की व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आवास आयुक्त को अधिकृत किया जाता है। सुनवाई के उपरान्त प्रस्ताव पुनः बोर्ड बैठक में रखा जाय।
273/12	आगरा शहर में बी0एस0यू0पी0 योजना के अन्तर्गत कालिन्दी विहार के द्वितीय पाकेट में परिषद द्वारा निर्मित 272 नग भवनों के ध्वस्तीकरण के उपरान्त भूमि स्थानीय निकाय को एवं निर्माण धनराशि शासन को वापस किये जाने विषयक प्रस्ताव।	अभियन्त्रण	सर्व सम्मति से सम्यक विचारोंपरान्त लोक निर्माण विभाग एवं वित्त विभाग के अद्यतन शासनादेशों का अनुपालन करते हुए ध्वस्तीकरण की कार्यवाही हेतु प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाय।
273/13	श्री हरीश कुमार वाधवा, सेवानिवृत्त अधिशासी अभियन्ता (सेवानिवृत्ति तिथि 31-10-2023) की सेवायें सेवानिवृत्ति के उपरान्त परिषद में ओ0एस0डी0 के पद पर अनुबन्धित किये जाने के सम्बन्ध में।	अभियन्त्रण	सर्व सम्मति से सम्यक विचारोंपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
273/14	श्री जनार्दन त्रिपाठी, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता (सेवानिवृत्ति तिथि 31-08-2022) की सेवायें सेवानिवृत्ति के उपरान्त परिषद में ओ0एस0डी0 के पद पर अनुबन्धित किये जाने के सम्बन्ध में।	अभियन्त्रण	सर्व सम्मति से सम्यक विचारोंपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

273/15	अवध विहार योजना, लखनऊ के सेक्टर-7डी के सरयू एन्क्लेव में स्टिल्ट स्तर पर रोके गये 488 नग बहुमंजिले भवनों के निस्तारण का प्रस्ताव।	अभियन्त्रण	सर्व सम्मति से सम्यक विचारोंपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
273/16	परिषद की विकास नगर विस्तार योजना, लखनऊ के सेक्टर-11 में स्थित फुटबाल मैदान के विकास, संचालन एवं रख-रखाव हेतु निजी संस्थाओं ई-बिड आमंत्रित करते हुए वार्षिक किराया लेते हुए न्यूनतम 10 वर्ष की अवधि एवं अनुबन्धित अवधि के उपरान्त 05-05 वर्ष की दो समयवृद्धि के साथ किराये पर दिये जाने की अनुमति के सम्बन्ध में।	अभियन्त्रण	सर्व सम्मति से सम्यक विचारोंपरान्त निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव का औचित्य एवं वायबिलिटी के विषय में पुनः परीक्षण कर लिया जाय।
273/17	परिषद की विभिन्न आवासीय योजनाओं के अन्तर्गत पूर्व में आवेदकों द्वारा सम्पत्ति क्रय हेतु जमा पंजीकरण धनराशि के सापेक्ष ऑनलाइन रिफण्ड हेतु आवेदन न करते हुए वरन उक्त धनराशि के सापेक्ष वर्तमान में अन्य किसी सम्पत्ति के आवंटन की मांग नियमानुसार न होने के कारण आवेदकों को उनकी जमा धनराशि ऑनलाइन रिफण्ड के स्थान पर बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से वापस जाने के सम्बन्ध में मा0 निदेशक मण्डल के समक्ष व्याख्यात्मक टिप्पणी।	सम्पत्ति	सर्व सम्मति से सम्यक विचारोंपरान्त प्रस्ताव का पुनः परीक्षण कर आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत करें।
273/18	पुलिस कमिश्नरेट कानपुर नगर के नवीन पुलिस थाना रावतपुर हेतु उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद योजना संख्या-01 के सेक्टर-एम स्थित फैसिलिटी भूखण्ड संख्या-एम/एफ0एस0-01, केशवपुरम, कानपुर के रिजर्व प्राइस के सम्बन्ध में।	सम्पत्ति	सर्व सम्मति से सम्यक विचारोंपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

273/19	परिषद में नियोजित पार्किंग भूखण्डों के निस्तारण हेतु नियम/शर्तें निर्धारित करने के सम्बन्ध में।	सम्पत्ति	सर्व सम्मति से सम्यक विचारोंपरान्त भूखण्डों की आरक्षित दर के सम्बन्ध में फिजिबिलिटी का पुनः परीक्षण कर आगामी बैठक में रखे जाने हेतु निर्देशित किया गया।
273/20	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद अधिनियम-1965 की धारा-95 की उपधारा-1 के बिन्दु संख्या-ड/ढ के अन्तर्गत परिषद की समस्त योजनाओं में स्थित स्कूल भूखण्डों को दो चरणों में सम्पन्न होने वाली नीलामी के माध्यम से आवंटन के स्थान पर सामान्य ई-नीलामी के माध्यम से निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में नवीन नीति हेतु मा0 निदेशक मण्डल के समक्ष व्याख्यात्मक टिप्पणी।	सम्पत्ति	सर्व सम्मति से सम्यक विचारोंपरान्त शासनादेश संख्या-3600/आठ-1-11-10 विविध/04 दिनांक 21 दिसम्बर 2011 के आधार पर आरक्षित दर का निर्धारण करते हुए तथा आर0टी0आई0 के प्राविधानों का अनुपालन कराने के निर्देश के साथ प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
273/21	आवंटित आवासीय/अनावासीय सम्पत्तियों के विरूद्ध बकाया धनराशि की वसूली हेतु एकमुश्त समाधान योजना लागू किये जाने के सम्बन्ध में।	सम्पत्ति	सर्व सम्मति से सम्यक विचारोंपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। प्रश्ताव शासन को प्रेषित किया जाय।
273/22	परिषद की विभिन्न योजनाओं में विभिन्न श्रेणी के रिक्त फ्लैटों (जी+3 एवं बहुमंजिला) के निस्तारण हेतु विशेष पंजीकरण योजना को समाप्त करते हुए उक्त के स्थान पर पहले आओ पहले पाओ को लागू किये जाने एवं दीपावली के शुभ अवसर पर फ्लैट्स के कुल मूल्य पर 10 प्रतिशत की छूट प्रदान किये जाने विषयक मा0 निदेशक मण्डल के समक्ष व्याख्यात्मक टिप्पणी।	सम्पत्ति	मा० परिषद को अवगत कराया गया कि पूर्व में कतिपय एन्क्लेव के रिक्त फ्लैटों की विक्रयशीलता बढ़ाए जाने हेतु 15% तक की छूट दी गयी थी। बड़ी संख्या में रिक्त फ्लैटों के निस्तारण के दृष्टिगत 60 दिन में पूर्ण भुगतान करने पर 15% तथा 61 से 90 दिन में पूर्ण भुगतान करने पर 10% छूट तथा किश्तों पर देने की स्थिति में ब्याज दर MLCR + 1% निर्धारित करते हुए सम्यक विचारोंपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

273/23	परिषद की भरतपुरी योजना, गोण्डा के फेस-3 में नियोजित 12.00 मी0 चौड़ी रोड पर स्थित स्कूल भूखण्ड (क्षेत्रफल 1826.82 वर्ग मी.) में उपविधि के प्रस्तर 2.4 के अनुसार सामुदायिक सुविधाओं के अन्तर्गत सामुदायिक केन्द्र उपयोग अनुमन्य करने के सम्बन्ध में।	वास्तुकला एवं नियोजन	सर्व सम्मति से सम्यक विचारोंपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
273/24	कन्नौज महायोजना-2031 में भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या-02, जनपद-कन्नौज का आवासीय से अन्यथा भू-उपयोग वाली भूमि का भू-उपयोग आवासीय परिवर्तित कराये जाने के सम्बन्ध में।	वास्तुकला एवं नियोजन	सर्व सम्मति से सम्यक विचारोंपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
273/25	मुख्य सचिव-सह अवस्थापना एवं औधोगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में इन्वेस्ट यू0पी0 "संचालन समिति" की बैठक के कार्यवृत्त के बिन्दु संख्या-3 के सम्बन्ध में।	भूमि अर्जन	सम्यक विचारोंपरान्त यह तथ्य पाया गया स्टियरिंग कमेटी द्वारा जिन 6 होटलों हेतु भूमि छोड़ने का निर्देश दिया था उसमें मर्यादा गेस्ट हाउस, होटल द होली अवध की भूमि पूर्व से अर्जन मुक्त है। सूर्या पैलेस की भूमि योजना क्षेत्र से बाहर है। शेष तीन होटलों, होटल रामाकुलम (द ग्रैण्ड वेदा होटल), होटल सागर पैलेस एवं होटल श्री कैलासा योजनान्तर्गत है। नियोजन समिति द्वारा इन होटलों की भूमि न छोड़ने की संस्तुति की गई थी, जिसे परिषद/शासन द्वारा पूर्व में ही स्वीकार किया जा चुका है। उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद अधिनियम 1965 में नियोजन समिति से इतर भूमियों को छोड़ने का कोई प्राविधान नही है। योजना का सेक्टोरल प्लान स्वीकृत हो चुका है। इस स्थान को पुनः परिलक्षित/नियोजित करने तथा योजना के मूलभूत सुविधा सड़क, सीवर, वाटर सप्लाई इत्यादि प्रभावित

			होने तथा योजना के ले आउट प्लान के आकृति के विकृत स्वरुप होने से परिषद को होने वाले आर्थिक क्षति के दृष्टिगत निर्माण कार्य हेतु अनुमति प्रदान किए जाने का औचित्य नही पाया गया।
273/26	जनपद-प्रतापगढ़ में प्रस्तावित भूमि विकास, गृहस्थान एवं बाजार योजना कटरा रोड प्रतापगढ़ की नियोजन समिति द्वारा की गयी कार्यवाही तथा परिषद अधिनियम-1965 की धारा-31 (1) के अन्तर्गत स्वीकृति के सम्बन्ध में।	भूमि अर्जन	सर्व सम्मति से सम्यक विचारोंपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
273/27	परिषद की प्रस्तावित नवीन भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या-11, सहारनपुर धारा-28 का प्रस्ताव।	भूमि अर्जन	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोंपरान्त प्रस्ताव का पुनः परीक्षण करने हेतु निर्देशित किया गया।
273/28	भूमि विकास गृहस्थान एवं बाजार योजना तथा पूरक योजना, अयोध्या से सम्बन्धित महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट द्वारा लैण्ड पूलिंग योजना के अन्तर्गत दी जाने वाली भूमि के सम्बन्ध में।	भूमि अर्जन	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोंपरान्त प्रस्ताव का पुनः परीक्षण कर आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाये।
273/29	भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या-4 में ग्राम छटीकरा एवं अल्हैपुर की भूमि को दिनांक 01-01-2014 रिफरेन्स डेट मानते हुए घोषित अनिवार्य अभिनिर्णय के आधार पर प्रतिकर निर्धारण के सम्बन्ध में मा0 निदेशक मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु प्रस्ताव के सम्बन्ध में।	भूमि अर्जन	परिषद बैठक में उपस्थित अधीक्षण अभियन्ता एवं अन्य अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि मा0 सुप्रीम कोर्ट से 01.01.14 को रिफरेन्स डेट मानते हुए एवार्ड पारित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। अटार्नी जनरल ऑफ इण्डिया ने भी अपनी विधिक राय दिनांक 04.10.2025 में मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को मानने के अतिरिक्त अन्य कोई विधिक उपाय न होने का सेटेल्ड लॉ हो जाने की बात कही गई है। पूर्व में

			किसानों से कुल भूमि का लगभग 50% भूमि आपसी समझौते के आधार पर क्रय कर लिए जाने की बात बताई गई। आपसी समझौते में 2018 में प्रचलित सर्किल दर के 3.2 गुना किसानों हेतु दर तय की गई थी। यदि 01.01.14 को प्रचलित दर को आधार मानते हुए एवार्ड किया जाता है तो कुल धनराशि आपसी समझौते से क्रय किये जाने पर होने वाले व्यय से कम पडेगा। इसके अतिरिक्त कतिपय काश्तकारों द्वारा मा0 सर्वोच्च न्यायालय में 01.01.14 के बजाय वर्तमान दर से एवार्ड किये जाने की बात कही गई है। 01.01.14 को प्रचलित सर्किल दर पर एवार्ड करने पर योजना परिषद के लिए लाभकारी बताई गई है। भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर अधिनियम-2013 में दी गई व्यवस्था से आंशिक रुप से इतर होने के कारण प्रकरण में न्याय विभाग का भी अभिमत प्राप्त किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। इस हेतु प्रस्ताव शासन को सन्दर्भित किया जाय।
273/30	माननीय मुख्यमंत्री जी शहरी विस्तारीकरण योजना के अन्तर्गत सीड कैपिटल के रूप में अनुदान राशि प्राप्त करने के सम्बन्ध में।	भूमि अर्जन	सर्व सम्मति से सम्यक विचारोंपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। कामन एरिया तथा विकास कार्यो पर व्यय के सन्दर्भ में अपर आवास आयुक्त की अध्यक्षता में कमेटी गठित कर परीक्षण कर आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये।
273/31	परिषद की जी0टी0 रोड बाईपास भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, वाराणसी में Land Acquisition के प्रस्तर/DPR तैयार करने में NHAI में प्रचलित व्यवस्था के सम्बन्ध में।	भूमि अर्जन	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोंपरान्त प्रस्ताव से अवगत हुआ। उक्त के आधार पर समुचित प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

273/32	बेतियाहाता दक्षिणी भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, गोरखपुर में 1.90 एकड़ अर्जन मुक्त भूमि के सम्बन्ध में मा0 निदेशक मण्डल की 178वीं बैठक दिनांक 16-11-2000 के मद संख्या-178/42 पर फ्री-होल्ड शुल्क अधिभारित किये जाने हेतु लिए गये निर्णय पर पुर्नविचार करने के सम्बन्ध में।	भूमि अर्जन	सर्व सम्मति से सम्यक विचारोंपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
273/33	परिषद की सत्यवानपुरी कटरा योजना, बस्ती में स्थित आवासीय भूखण्ड संख्या-11/3/9 व 11/3/10 को नवीन भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2025 के आलोक में स्थल पर किये गये निर्माण के शमन व भूखण्डों को एक्जाई करते हुए व्यवसायिक उपयोग अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में।	वास्तुकला एवं नियोजन	सर्व सम्मति से सम्यक विचारोंपरान्त आवासीय से व्यवसायिक परिर्वतन करने लिए आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने की कार्यवाही का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
273/34	परिषद की यू0पी0आई0एल0 योजना, ऐशबाग लखनऊ में स्थित व्यवसायिक भूखण्ड संख्या-सी0पी0-01 व सी0पी0-02 पर रोपित आमेलन शुल्क के सम्बन्ध में।	वास्तुकला एवं नियोजन	सर्व सम्मति से सम्यक विचारोंपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
273/35	सिविल रिट याचिका संख्या-12796/2024 हेम चन्द्रा बनाम उ0प्र0 सरकार में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 20-05-2024 के विरूद्ध परिषद द्वारा मा0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित एस0एल0पी0 सं0-7261/2025 पर मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 17-03-2025 को पारित निर्णय के आलोक में मा0 परिषद की 271वीं बैठक दिनांक 29-04-2025 के मद संख्या-271/20 पर लिये गये निर्णय के सम्बन्ध में।	भूमि अर्जन	सर्व सम्मति से सम्यक विचारोंपरान्त मा0 उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों तथा एटार्नी जनरल ऑफ इंडिया की राय तथा मा0 उच्च न्यायालय में योजित अवमाननावाद के कारण अन्य कोई विधि सम्मत विकल्प न होने के कारण अपर जिलाधिकारी भूमि अध्याप्ति को मांग के अनुसार धनराशि प्रेषित की जाये, उसमें मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित एस0एल0पी0 का भी उल्लेख किया जाये। एवार्ड की प्रक्रिया पूर्ण किये जाते समय तत्सयम प्रचलित व्यवस्था के अनुसार कार्यवाही की जाय।

273/36	परिषद की वसुन्धरा योजना संख्या-03 के विस्थापित किसानों द्वारा को 35.00 वर्गमी0 के व्यवसायिक भूखण्डों के सृजन एवं वर्तमान व्यवसायिक दर पर आवंटन किये जाने हेतु भूमि दर के निर्धारण तथा आवंटित की जाने वाली सम्पत्तियों में 02 भूखण्डों व 04 भूखण्डों का ग्रुप बनाकर आवंटन के सम्बन्ध में मा0 निदेशक मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की जाने वाली व्याख्यात्मक टिप्पणी के सम्बन्ध में।	भूमि अर्जन	सर्व सम्मति से सम्यक विचारोंपरान्त आगामी बैठक में रखें जाने का निर्णय लिया गया।
273/37	अध्यक्ष महोदय की अनुमति के कोई अन्य विषय।		

अनुमोदित,

(पी0 गुरु प्रसाद)
अध्यक्ष